विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 12

1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि 12

1.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 12

1.3. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन 14

1.4. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना 15

1.5. हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना 16

1.5.1. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन 17

1.5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 18

1.5.3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 19

1.5.3.1. परंपरागत कृषि विकास योजना 19

1.5.3.2. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम 20

1.5.4. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना 21

1.5.5. कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन 21

1.5.6. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन 22

1.6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार 22

1.6.1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना 24

1.7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 24

1.8. राष्ट्रीय कृषि बाजार 25

1.9. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 26

1.10. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 26

1.11. युवा सहकार योजना 27

1.12. किसान क्रेडिट कार्ड 28

1.13. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण 28

1.14. जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल 29

1.15. ब्याज अनुदान योजना 29

1.16. आर्या परियोजना 30

1.17. कृषि विज्ञान केंद्र 30

1.18. राष्ट्रीय कृषि उन्नतर शिक्षा परियोजना 30

1.19. अन्य पहलें 31

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 35

2.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना 35

2.2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 35

2.3. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 36

2.4. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन 36

2.5. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम 37

2.6. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I 37

2.7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना 38

2.8. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन 38

GUPTA CLASSES

2.9. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम 39
2.10. अन्य योजनाएँ 39

3. आयुष मंत्रालय 41

3.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन 41
3.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 42
3.3. अन्य योजनाएँ 42

4. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 44

4.1. उर्वरक विभाग 44
4.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 44
4.1.2. भारत में यूरिया सब्सिडी 44
4.1.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम 44
4.2. औषध विभाग 45
4.2.1. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना 45
4.2.2. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन 45
4.2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट्स और APIs के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए) 46
4.2.4. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) 46
4.2.5. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना 47
4.2.6. औषध उद्योग के विकास हेतु योजना 47
4.2.7. अन्य योजनाएँ 48
4.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग 48
4.3.1. प्लास्टिक पार्क स्कीम 48

5. नागर विमानन मंत्रालय 49

5.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना: 49
5.2. अन्य योजनाएँ 50

6. कोयला मंत्रालय 52

6.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इंडिया) योजना 52
6.2. अन्य योजनाएँ 52

7. वाणिज्य मंत्रालय 54

7.1. स्टार्ट अप इंडिया 54
7.2. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना 55
7.3. मेक इन इंडिया 55
7.4. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना 56
7.5. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना 56
7.6. अन्य योजनाएँ 57

8. संचार मंत्रालय 60

GUPTA CLASSES

8.1. दूरसंचार विभाग 60
8.1.1. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 60
8.1.2. भारत नेट परियोजना 60
8.1.3. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना 61
8.1.4. तरंग संचार 61
8.2. डाक विभाग 62
9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 63
9.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 63
9.1.1. अंत्योदय अन्न योजना 63
9.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 63
9.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 64
9.2. उपभोक्ता मामले विभाग 64
9.2.1. मूल्य स्थिरता कोष 64
9.2.2. अन्य योजनाएं 65
10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 66
11. संस्कृति मंत्रालय 67
11.1. प्रोजेक्ट मौसम 67
11.2. स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइन्स 67
11.3. सेवा भोज योजना 67
11.4. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण 68
11.5. अन्य योजनाएं 68
12. रक्षा मंत्रालय 70
12.1. वन रैंक वन पेंशन योजना 70
12.2. अन्य योजनाएँ 70
13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 71
14. जल शक्ति मंत्रालय 74
14.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 74
14.2. अटल भूजल योजना 76
14.3. नमामि गंगे योजना 77
14.4. जल क्रांति अभियान 78
14.5. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना 78
14.6. बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना 2.0 79
14.7. जल जीवन मिशन 79
14.8. अन्य योजनाएँ 81
15. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 83
15.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020) 83
15.2. अन्य योजनाएं 83
GUPTA CLASSES

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय....................85

16.1. डिजिटल इंडिया....................85
16.2. जीवन प्रमाण....................85
16.3. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान....................86
16.4. साइबर स्वच्छता केन्द्र....................86
16.5. भारत BPO संवर्द्धन योजना....................87
16.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान....................88
16.7. स्त्री स्वाभिमान....................88
16.8. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि....................88
16.9. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019....................89
16.10. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना....................90
16.11. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना....................90
16.12. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना....................91
16.13. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना....................91
16.14. अन्य योजनाएँ....................92

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय....................95

17.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज....................95
17.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट....................96
17.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम....................97
17.4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम....................98
17.5. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान....................98
17.6. अन्य योजनाएँ....................99

18. विदेश मंत्रालय....................101

18.1. भारत को जानो कार्यक्रम....................101
18.2. छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम....................101
18.3. प्रवासी कौशल विकास योजना....................101
18.4. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग....................102

19. वित्त मत्रांलय....................103

19.1. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना....................103
19.2. नेशनल पेंशन स्कीम....................105
19.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना....................106
19.4. अटल पेंशन योजना....................107
19.5. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना....................108
19.6. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना....................109
19.7. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना....................109
19.8. प्रधान मंत्री जन धन योजना....................110
19.9. स्टैंड अप इंडिया योजना....................110
19.10. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना....................111
19.11. सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना....................112

GUPTA CLASSES

19.12. स्वच्छ भारत कोष 113

20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 114

20.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना 114
20.2. मेगा फूड पार्क 114
20.3. ऑपरेशन ग्रीन्स 115
20.4. अन्य योजनाएँ 116

21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 117

21.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 117
21.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 117
21.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 118
21.4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 118
21.5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 119
21.6. जननी सुरक्षा योजना 119
21.7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 120
21.8. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 120
21.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव 120
21.10. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल 121
21.11. मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन 121
21.12. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना 122
21.13. मिशन परिवार विकास 123
21.14. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 123
21.15. मिशन इंद्रधनुष 123
21.16. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क 124
21.17. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस) 125
21.18. आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना 125
21.19. राष्ट्रीय आरोग्य निधि 126
21.20. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 127
21.21. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा 127
21.22. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 128
21.23. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल 128
21.24. अन्य योजनाएँ 129

22. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय 132

22.1. फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II: फेम 132
22.2. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 133
22.3. समर्थ उद्योग भारत 4.0 133

23. गृह मंत्रालय 134

23.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम 134
23.2. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 134
23.3. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम 135

GUPTA CLASSES

23.4. अन्य योजनाएँ 135

24. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 137

24.1. प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 137
24.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) 138
24.3. स्मार्ट सिटी मिशन 138
24.4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 140
24.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय) 141
24.6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 141

25. मानव संसाधन विकास मंत्रालय 144

25.1. राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा) 144
25.2. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव 145
25.3. नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 145
25.4. स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनामी (स्ट्राइड/STRIDE) 146
25.5. समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना 146
25.5.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 147
25.5.2. सर्व शिक्षा अभियान 148
25.5.3. पढ़े भारत बढ़े भारत 148
25.5.4. विद्यांजलि 148
25.5.5. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 149
25.6. मध्याह्न भोजन योजना 149
25.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 151
25.8. 'स्टडी इन इंडिया' 151
25.9. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम 152
25.10. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष 152
25.11. उड़ान- गिविंग विंग्स टू गर्ल्स 153
25.12. उन्नत भारत अभियान 153
25.13. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 154
25.14. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 154
25.15. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस 155
25.16. अन्य योजनाएँ 155

26. श्रम और रोजगार मंत्रालय 160

26.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 160
26.2. प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 160
26.3. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना 161
26.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 161
26.5. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल 162
26.6. नेशनल करियर सर्विस 162
26.7. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 163
26.8. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 163

GUPTA CLASSES

26.9. व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना)........ 164
26.10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 165
26.11. अन्य योजनाएँ........ 165

27. विधि और न्याय मंत्रालय........ 166

27.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस........ 166
27.2. न्याय मित्र 166
27.3. अन्य योजनाएँ........ 166

28. खान मंत्रालय........ 168

28.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 168
28.2. अन्य योजनाएँ........ 168

29. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय........ 169

29.1. साइबर ग्राम........ 169
29.2. जियो पारसी 169
29.3. नई रोशनी........ 170
29.4. उस्ताद - अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट........ 170
29.5. नई मंजिल 171
29.6. पढ़ो परदेश 171
29.7. नई उड़ान 172
29.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी 172
29.9. हमारी धरोहर 173
29.10. सीखो और कमाओ........ 173
29.11. महिला समृद्धि योजना........ 174
29.12. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम........ 174
29.13. अन्य योजनाएँ........ 175

30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय........ 176

30.1. शहद मिशन 176
30.2. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम........ 176
30.3. शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना 177
30.4. सौर चरखा मिशन........ 177
30.5. पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति)........ 178
30.6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम 178
30.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना 180

31. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय........ 182

31.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन........ 182
31.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना........ 182
31.3. अटल ज्योति योजना - अजय........ 183
31.4. सौर शहरों के विकास की योजना........ 184

GUPTA CLASSES

31.5. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम 184
31.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 185
31.7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना 185
31.8. अन्य योजनाएँ 186

32. पंचायती राज मंत्रालय 187

32.1. ग्राम स्वराज अभियान 187
32.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 187

33. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 188

33.1. इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल 188

34. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 189

34.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 189
34.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) 189
34.3. पी.डी.एस. केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना 190
34.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना 190
34.5. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना 191
34.6. राष्ट्रीय गैस ग्रिड 191
34.7. सिटी गैस वितरण नेटवर्क 192
34.8. अन्य योजनाएँ 193

35. विद्युत मंत्रालय 194

35.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) 194
35.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 195
35.3. राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम 195
35.3.1. उजाला 196
35.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम 196
35.4. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) 196
35.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) 197
35.6. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) 197
35.7. अन्य योजनाएँ 198

36. रेल मंत्रालय 199

36.1. किसान रेल योजना 199
36.2. अवतरण 199
36.3. मिशन सत्यनिष्ठा 200
36.4. अन्य योजनाएँ 200

37. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 202

37.1. भारतमाला परियोजना 202
37.2. अन्य योजनाएँ 203

GUPTA CLASSES

38. ग्रामीण विकास मंत्रालय 204

38.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना 204
38.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 204
38.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 205
38.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 206
38.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 207
38.6. मिशन अंत्योदय 208
38.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 209
38.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 210
38.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 211
38.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएँ 211
38.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 211
38.10.2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 212
38.11. नीरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट 213

39. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 214

39.1. विज्ञान ज्योति 214
39.2. स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार 214
39.3. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान 215
39.4. उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल 215
39.5. नेशनल बायोफार्मा मिशन 216
39.6. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एपलिकेशन नेटवर्क) 216
39.7. मवेशी जीनोमिक्स योजना 217
39.8. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) 217
39.9. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम 218
39.10. बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन 219
39.11. अटल जय अनुसंधान बायोटैक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम 219
39.12. अन्य योजनाएँ 220

40. पोत परिवहन मंत्रालय 223

40.1. सागरमाला 223
40.2. जल मार्ग विकास परियोजना 224

41. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 225

41.1. प्रधान मंत्री युवा योजना 225
41.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 225
41.3. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) 226
41.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण 227
41.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 227
41.6. जन शिक्षण संस्थान 227
41.7. अन्य योजनाएँ 228

42. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 229

GUPTA CLASSES

42.1. स्वच्छता उद्यमी योजना 229
42.2. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना 229
42.3. सुगम्य भारत अभियान 229
42.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना 230
42.5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 231
42.6. मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) 231
42.7. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना 232
42.8. अन्य योजनाएँ 232

43. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 234

43.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 234
43.2. अन्य योजनाएं 234

44. इस्पात मंत्रालय 235

44.1. मिशन पूर्वोदय 235
44.2. भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन 235

45. वस्त्र मंत्रालय 236

45.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 236
45.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना 237
45.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 237
45.4. पावरटेक्स इंडिया स्कीम 239
45.5. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 239
45.6. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना 240
45.7. अन्य योजनाएँ 240

46. पर्यटन मंत्रालय 242

46.1. स्वदेश दर्शन 242
46.2. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना 242
46.3. धरोहर गोद लें/अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना 243
46.4. पर्यटन पर्व 244
46.5. अन्य योजनाएँ 244

47. जनजातीय कार्य मंत्रालय 245

47.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 245
47.2. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना 245
47.3. वनबंधु कल्याण योजना 246
47.4. प्रधानमंत्री वन धन योजना 246
47.5. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र 246
47.6. अन्य योजनाएँ 247

48. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 248
GUPTA CLASSES

48.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं 248
48.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) 248
48.1.2. भारतीय पोषण कृषि कोष 249
48.1.3. किशोर लड़कियों के लिए योजना 249
48.1.4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 250
48.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 251
48.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना 252
48.3. उज्ज्वला योजना 252
48.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना - सक्षम 253
48.5. स्वाधार गृह योजना 253
48.6. जेंडर चैंपियंस योजना 254
48.7. सखी वन स्टॉप सेंटर 254
48.8. अन्य योजनाएँ 254

49. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 256

50. नीति आयोग 258

50.1. अटल नवोन्मेष मिशन 258
50.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम 259
50.3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम 259
50.4. परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन 259
50.5. अन्य योजनाएँ 260

51. प्रधान मंत्री कार्यालय 261

51.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) 261
51.2. अन्य योजनाएँ 261

52. अंतरिक्ष विभाग 262

52.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल 262
52.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम 263
52.3. अन्य योजनाएँ 263

53. राज्य सरकार की योजनाएँ 264

GUPTA CLASSES

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare)

1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले सभी लघु व सीमांत भू-स्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। • उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आगतों (इनपुट्स) की खरीद हेतु किसानों की प्रत्याशित कृषि आय के पूरक के तौर पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इस योजना में देश के सभी भू-स्वामी कृषक परिवारों को उनके कृषि भूमि आकार पर ध्यान दिए बिना **प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है।** • इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। • लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों/प्रशासन का है। • राशि, लाभार्थियों के बैंक खातों में **प्रत्यक्षत: अंतरित** की जाती है। • इस हेतु कृषक, PM किसान पोर्टल पर **फार्मर्स कॉर्नर** या **कॉमन सर्विस सेंटर्स** के माध्यम से अपना स्वत: पंजीकरण कर सकते हैं। • इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। हालांकि, इसके कुछ **अपवाद** भी हैं, जैसे- **वन निवासी, पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जिनके भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान किए गए हैं।** • PM किसान की प्रथम वर्षगांठ पर **PM किसान मोबाइल ऐप** लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से कृषक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड्स को अद्यतित व संशोधित कर सकते हैं तथा अपने बैंक खातों में विगत क्रेडिट्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। • **अपात्र (Exclusions):** संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर पूर्व में और वर्तमान में पदधारक, विगत मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि जैसी **उच्च आर्थिक स्थिति** के लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी। • PM किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि कृषक बैंकों से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकें। इससे ऐसे सभी कृषकों को समयबद्ध भुगतान करने पर **4%** की अधिकतम ब्याज दर पर फसलों एवं पशु/मत्स्यपालन हेतु लघु अवधि के ऋण प्राप्त करने में सहायता होगी।

1.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

(PM Fasal Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान, जिनके पास फसल बीमा है,	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के अतिरिक्त, इस योजना ने अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। • **किसानों द्वारा सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एकसमान**

GUPTA CLASSES

सहायता प्रदान करना। • कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करना। • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।	कवरेज के लिए पात्र हैं।	क्रमशः **2% तथा 1.5% प्रीमियम** का भुगतान किया जाएगा। • वार्षिक वाणिज्यिक और **बाग़वानी फसलों** के संदर्भ में, किसानों द्वारा **केवल 5% प्रीमियम** का भुगतान किया जाएगा। • ज्ञातव्य है कि शेष बीमा प्रीमियम का समान अनुपात में भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था। हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से अपनी प्रीमियम सब्सिडी को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 25% तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है। • **50%** अथवा अधिक सिंचित क्षेत्रों वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र/जिले के रूप में स्वीकार किया जाएगा। • पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार का हिस्सा वर्तमान 50:50 के सहभाजन प्रतिमान से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। • प्रीमियम दरों हेतु प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत केंद्रीय सब्सिडी असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए **30%** तक तथा सिंचित क्षेत्रों/फसलों हेतु **25%** तक सीमित होंगी। • यह अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य था। हालाँकि वर्तमान में, इसे कर्ज़दार कृषकों सहित **सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक बना दिया गया है।** • **उपज हानि (Yield Losses):** प्राकृतिक अग्नि एवं तड़ित, तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी/झंझावात, हरिकेन, टोरनाडो आदि जैसे रोके न जा सकने वाले (non-preventable) जोखिम; तथा बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीटों / रोगों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। • **पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया** गया है, जिसमें बेमौसम और चक्रवातीय वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाली क्षति भी शामिल है। • इस योजना को **'क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण'** (एरिया एप्रोच बेसिस) के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। परिभाषित क्षेत्र (अर्थात्, बीमा का इकाई क्षेत्र) एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र के रूप में होता है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु **समान जोखिम का सामना** करने वाला एक जियो-फेंस्ड/जियो-मैप्ड क्षेत्र (Geo-Fenced/ Geo-mapped region) हो सकता है। • **फसलों की बीमित राशि**: राज्य/संघ शासित प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं की जाती है उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर ही) ही स्वीकार किया जाएगा। • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी** (यथा- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि) और **निजी बीमा कंपनियों** को सूची में सम्मिलित किया गया है। निर्धारित कट-ऑफ तिथि से दो माह से

GUPTA CLASSES

		अधिक का समय व्यतीत होने पर **निपटान दावों में विलंब** हेतु बीमा कंपनियों द्वारा कृषकों को 12% तक का ब्याज भुगतान किया जाएगा • इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों को भी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। • हाल ही में, सरकार ने वर्तमान समय में जारी PMFBY और RWBCIS के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है: ○ बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन वर्षों हेतु किया जाएगा। वर्तमान में, राज्यों द्वारा 1/2/3 वर्षों की अवधि हेतु निविदाएं जारी की जाती हैं। ○ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक अथवा अधिक अतिरिक्त जोखिम को कवर करने के विकल्प के साथ इस योजना को कार्यान्वित करने की छूट प्राप्त है। ○ यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा के पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी (subsequent) मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। खरीफ और रबी मौसमों हेतु कट-ऑफ तिथियां क्रमश: 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। • हाल ही में, **महाराष्ट्र** PMFBY के वेब पोर्टल के साथ अपने भू-अभिलेखों को समेकित करने वाला **प्रथम** राज्य बन गया है। यह किसानों को भू-अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, ओवर-इन्सुरेंस (over-insurance) से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा और अपात्र लोगों को बीमा लाभ प्राप्त करने से रोकेगा।

1.3. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

{Formation And Promotion Of Farmer Producer Organizations (FPOs)}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• आगामी पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से 2023-24) में **10,000 FPOs का गठन किया जाएगा,** ताकि किसानों के लिए इकॉनमी ऑफ़ स्केल का लाभ सुनिश्चित किए जा सके। ○ **प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाएगा,** जो वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।	• ऐसे **लघु एवं सीमांत किसान** इसके लाभार्थी होंगे, जिनके पास उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मूल्य संवर्धन युक्त विपणन प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है।	• यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **"कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग" (DAC&FW)** के अंतर्गत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इसे **लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ (Small Farmers Agri-business Consortium: SFAC), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** और **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य भी DAC&FW के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को नामित कर सकते हैं। • इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य स्तर पर **क्लस्टर बेस्ड बिज़नस आर्गेनाईजेशन (CBBO)** की स्थापना की जाएगी।

GUPTA CLASSES

		इन CBBOs में **विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच** के रूप में कार्य करेंगे। • **FPO के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। • प्रस्तावित FPOs में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे, ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक (प्रखंड) में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी। • प्रत्येक FPO हेतु परियोजना ऋण के तौर पर दो करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) नाबार्ड (NABARD) और NCDC द्वारा सृजित किया किया जाएगा। • FPO का संवर्धन **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि FPO के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.4. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना

(Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
PM-KMY, देश के लगभग 3 करोड़ लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।	• **18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF):** वह किसान जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि धारण करता है। • **अपात्र (Exclusions):** राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)** आदि जैसी **किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** के अंतर्गत शामिल SMFs इसके लाभार्थी नहीं होंगे। .	• यह केन्द्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • यह **18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग** के किसानों के लिए एक **स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन योजना** है तथा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर **3,000 रुपये** की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। • इसके लिए पेंशन निधि में किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा है। यह राशि इस योजना में उनके प्रवेश की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। • **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** को पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। • सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पति या पत्नी

GUPTA CLASSES

		(जीवन-साथी), मृतक किसान की शेष अवधि तक शेष अंशदान का भुगतान करते हुए योजना में बने रह सकते हैं। • यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् किसान की मृत्यु होती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त होगी। किसान और जीवन-साथी, दोनों की मृत्यु के पश्चात्, संचित कोष को **पेंशन निधि** में वापस जमा कर दिया जाएगा। • **अन्य पहलों के साथ समन्वय:** ○ इस योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान द्वारा इस योजना के लिए अपना मासिक अंशदान सीधे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से प्राप्त लाभ से किए जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है। परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। • किसानों को पहुंच की सुगमता प्रदान करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से PM-KMY के लिए प्रारंभिक नामांकन का कार्य किया जा रहा है। • CSCs के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs), जो क्षेत्र आधारित कार्यकर्ता होते हैं, को कृषकों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। • LIC, बैंकों और सरकार का एक उपयुक्त **शिकायत निवारण तंत्र** होगा। • इस योजना की निगरानी, समीक्षा और संशोधन के लिए **सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति** का भी गठन किया गया है।

GUPTA CLASSES

1.5. हरित क्रांति - कृषोन्नती योजना

(Green Revolution – Krishonnati Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उत्पादों पर बेहतर लाभ के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का समग्र एवं वैज्ञानिक रीति से विकास करना।	यह एक **केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना** है, जो वर्ष 2016-17 से लागू है। इसमें निम्नलिखित 11 योजनाएँ/मिशन शामिल हैं: • **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। • **राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन (NMOOP) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा**

	मिशन (NFSM): देश के चिन्हित जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार, मृदा उर्वरता के पुनर्स्थापन और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से चावल, गेंहू, दालों, मोटे अनाज, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। • **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA):** विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय से संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना। • **कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE):** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने, कार्यक्रम नियोजन को सुदृढ़ करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा देने आदि हेतु राज्यों/स्थानीय निकायों के प्रचालनरत कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना। • **बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP):** प्रमाणित/गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन को बढ़ाना, बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) में वृद्धि करना और फसल उपज के पश्चात् प्राप्त बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना। • **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM):** कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना। • **पौध संरक्षण एवं पौध संग रोधक से संबंधित उप मिशन (SMPP):** कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज की हानि को कम करने एवं कृषि जैव-सुरक्षा को बनाए रखने तथा वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करने और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। • **कृषि संगणना, अर्थव्यवस्थाएं और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना:** कृषि संगणना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना तथा देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोधाध्ययन करना। • **कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC):** सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। • **कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM):** कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना, नवाचार और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा एक साझे ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना। • **राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-A):** सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुँच में सुधार करने, उनकी कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय पर एवं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराना।

1.5.1. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन

(Mission for Integrated Development of Horticulture)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देना। • FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। • बाग़वानी उत्पादन में वृद्धि, करना;	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में आरम्भ किया गया था। इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं: ○ **राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन:** क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना; ○ **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बाग़वानी मिशन:** यह एक तकनीकी मिशन है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल

GUPTA CLASSES

किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। • जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। • कौशल विकास में सहायता करना और रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।	प्रबंधन इत्यादि पर सकेंद्रित है। ○ **प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना तथा रोज़गार के अवसर सृजित करना।** ○ **राष्ट्रीय बाग़वानी बोर्ड** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। ○ **नारियल विकास बोर्ड** देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। ○ **केंद्रीय बाग़वानी संस्थान, नागालैंड:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी बैक स्टॉप प्रदान करने हेतु। • **रणनीति:** ○ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ एंड-टू-एंड एप्रोच अपनाना। ○ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ○ फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। ○ फसल पश्चात् प्रबंधन, मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार करना। ○ FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना। • **वित्त पोषण:** केंद्र सरकार पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90% तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60% का योगदान करेगी, जबकि शेष योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। • वर्ष 2014 में, **प्रोजेक्ट चमन** आरम्भ किया गया था। इसके तहत बाग़वानी विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गयी है।

1.5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(National Food Security Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि** के माध्यम से **चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज तथा नकदी फसलों** के उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना। • एकल खेत (फार्म) के स्तर पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता पुनर्स्थापित करना। • खेत स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना।	• यह वर्ष 2007 में प्रारंभ एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • वर्ष 2018-19 और 2019-20 से, राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (NMOOP) तथा बीज ग्राम कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार NFSM के अब **आठ घटक** होंगे, यथा- (i) NFSM - चावल; (ii) NFSM - गेंहू; (iii) NFSM - दाल; (iv) NFSM - मोटे अनाज (मक्का, जौ आदि); (v) NFSM - पोषक खाद्यान्नों पर उप-मिशन; (vi) NFSM - वाणिज्यिक फसलें; (vii) NFSM - तिलहन और पाम ऑयल; तथा (viii) NFSM - बीज ग्राम कार्यक्रम।

GUPTA CLASSES

1.5.3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

(National Mission on Sustainable Agriculture: NMSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ (climate resilient) बनाना।
• समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
• व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियां अपनाना तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन उपायों के क्षेत्र में कृषकों की क्षमता का निर्माण करना।
	• यह सतत कृषि मिशन से अधिदेशित है। यह मिशन **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।
	• NMSA संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर **'जल उपयोग दक्षता', 'पोषक-तत्व प्रबंधन'** और **'आजीविका विविधीकरण'** के प्रमुख आयामों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेगा।
	• NMSA के **प्रमुख घटक** हैं:
	  ○ वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास;
	  ○ खेत (फार्म) पर जल प्रबंधन {अब प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के **प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC)** घटक के तहत}; एवं
	  ○ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन;
	  ○ जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि: मॉनीटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग;
	  ○ कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF); एवं
	  ○ राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)।
	• **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन:** यह इस मिशन के तहत एक उप-मिशन है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके तथा आगतों से लेकर एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रसंस्करण व विपणन हेतु सुविधाओं के निर्माण तथा ब्रांड बिल्डिंग पहल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहायता प्रदान की जा सके।

1.5.3.1. परंपरागत कृषि विकास योजना

(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु प्रत्यास्थ संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
• संधारणीय एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों हेतु कृषि की लागत कम करने के लिए भूमि की प्रति यूनिट पर किसान की निवल आय को बढ़ाना।
• पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण की खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से रक्षा करना।
• उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टरों और समूह के रूप में अपने स्वयं के संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।
• स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ
	• "परंपरागत कृषि विकास योजना" एक महत्वपूर्ण परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है।
	• **क्लस्टर एप्रोच:** क्लस्टर एप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या उससे अधिक ऐसे किसान एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे, जिनके पास 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि होगी। जैविक कृषि करने के लिए किसान कृषि की पारंपरिक पद्धतियों और मानक जैविक कृषि पद्धतियों, जैसे- शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि और पर्माकल्चर अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 48,700 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता हेतु पात्र होंगे।
	• बजट के कम से कम 30% आबंटन को महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
	• **प्रमुख घटक:**
	  ○ **क्लस्टर पद्धति के माध्यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण:** किसानों को लामबंद करना, क्लस्टर निर्माण, भूमि संसाधनों की पहचान और जैविक कृषि तथा PGS प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण।
	  ○ **क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना:** एकीकृत खाद प्रबंधन (Integrated Manure

GUPTA CLASSES

किसानों के प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित कर किसानों को उद्यमी बनाना।	Management), पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और क्लस्टर के जैविक उत्पादों की जैविक कृषि के लिए एक्शन प्लान। • **इस योजना के अन्य हालिया घटनाक्रम: मई 2018 में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।** ○ **NMSA के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC),** इस मिशन को समग्र दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नीति-निर्धारण निकाय होगी तथा इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा करेगी। ○ **राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (NCOF):** PGS-इंडिया कार्यक्रम का सचिवालय होने के कारण NCOF, क्षेत्रीय केंद्रों के प्राधिकरण, NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के चयन और RCOF के माध्यम से यादृच्छिक निगरानी सहित PGS प्रमाणन कार्यक्रम के लिए निगरानी निकाय होगा। ○ **जैविक खेती पोर्टल:** जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो एक ज्ञान मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में कार्य करेगा। ○ संबंधित घटकों के लिए MIDH, NFSM जैसी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और MOFPI, SMES, MoRD आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (Mission Organic Value Chain Development in North East region: MOVCDNER)	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) की भांति इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: रसायन मुक्त, निम्न आगत व्यय और संधारणीय जैविक कृषि आधारित संकुल/किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के संवर्धन को बढ़ावा देना तथा बाजार लिंकेज हेतु आगत खरीद से कृषकों को समर्थन प्रदान करना है। • निर्यात हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट (niche) फसलों की जैविक कृषि को भी MOVCDNER के तहत समर्थन प्रदान किया जा रहा है, जहां FPOs को अवसंरचना निर्माण और मूल्य श्रृंखला आधारित विपणन सहित जैविक आगतों एवं कटाई पश्चात् प्रबंधन प्रथाओं हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

1.5.3.2. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम

(Participatory Guarantee System: PGS)

पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (PGS-India)	• घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और लघु व मध्यम किसानों को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग** द्वारा PGS-India नामक एक विकेन्द्रीकृत जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। • **यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली (जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्व-आवश्यकता है) के ढांचे से बाहर है।** यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं वाली एक समूह-प्रमाणन प्रणाली (जैसाकि इसके नाम से ही ज्ञात होता है) है तथा यह प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PKVY) द्वारा समर्थित है। • PGS यह सुनिश्चित करती है कि इनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह खेत के इतर (ऑफ-फ़ार्म) की गतिविधियों, जैसे- परिवहन, भंडारण आदि के लिए प्रवर्तनीय नहीं है। • प्रमाणन एक **प्रलेखित लोगो (logo) या एक वक्तव्य के रूप** में होता है। **खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017** में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) या PGS-India के अतिरिक्त भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की लेबलिंग की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है, ताकि अंतिम उपभोक्ताओं तक जैविक उत्पादों की बिक्री की जा सके। हालाँकि, उन

GUPTA CLASSES

	लघु जैविक उत्पादकों को छूट दी गई है जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, परंतु वे **जैविक भारत लोगो (Jaivik Bharat logo)** का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

संबंधित तथ्य:
- **जैविक भारत लोगो:** जैविक उत्पादों को अजैविक उत्पादों से पृथक करना।
- **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP):** इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह भारत से इस प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणन निकायों हेतु प्रत्यायन कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानदंड, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने आदि पर केंद्रित है। इसके तहत **तृतीय पक्ष प्रमाणन** की प्रक्रिया के माध्यम से जैविक कृषि प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

1.5.4. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना

(Integrated Scheme for Agricultural Marketing: ISAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्रक के निवेश के बदले में सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना। • प्राथमिक संसाधकों (processors) के साथ किसानों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना। • कृषि विपणन में नई चुनौतियों के प्रत्युत्तर में किसानों को संवेदनशील और उन्मुख बनाने हेतु विस्तार के एक साधन के रूप में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का प्रयोग करना।	• ISAM में निम्नलिखित **पांच घटक** सम्मिलित होंगे: ○ कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) {वर्तमान में चल रही ग्रामीण भंडार योजना (GBY) और कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण (AMIGS) का विकास/सुदृढ़ीकरण योजना का AMI में विलय कर दिया जाएगा}; ○ विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (MRIN); ○ एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना (SAGF); ○ वेंचर कैपिटल असिसटेंट (VCA) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी (PDF) के माध्यम से एग्री-बिज़नेस डेवलपमेंट (ABD); एवं ○ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)।

1.5.5. कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Agricultural Extension and Technology)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान-संचालित और किसान-उत्तरदायी बनाना। • किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना।	• केंद्रीय क्षेत्रक की यह योजना **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी** (Agriculture Technology Management Agency: ATMA) के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। • इसके तहत निम्नलिखित **4 उप-योजनाओं** के माध्यम से विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है: ○ कृषि विस्तार के लिए उप-मिशन (SMAE); ○ बीज तथा पौध रोपण सामग्री के लिए उप मिशन (SMSP); ○ कृषि मशीनीकरण हेतु उप-मिशन (SMAM); एवं ○ पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (SMPP)।

GUPTA CLASSES

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanisation)	• इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का विस्तार **लघु और सीमांत किसानों** तक तथा उन क्षेत्रों में करना है, जहां मशीनीकरण और विद्युत की उपलब्धता अत्यंत कम है। • इस मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: ○ प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढीकरण। ○ पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (PHTM) का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण। ○ कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ○ कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। ○ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण और उपकरणों को बढ़ावा देना।

1.5.6. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन

(Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• फसल अवशेषों के दहन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से **पर्यावरण की रक्षा करना** और मृदा के पोषक तत्वों व लाभकारी सूक्ष्म जीवों के ह्रास को रोकना; • उपयुक्त मशीनीकरण आगतों के उपयोग के माध्यम से मृदा में प्रतिधारण और समावेशन द्वारा **फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन को प्रोत्साहित करना;** • लघु भू-जोतों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु **'फार्म मशीनरी बैंकों'** को बढ़ावा देना। • फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन हेतु प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा विभेदित सूचना, शिक्षा एवं संचार रणनीतियों के माध्यम से **हितधारकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।**	• यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है। • इस योजना के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर **यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद** हेतु लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के **कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए** परियोजना लागत की 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यह किसानों के मध्य जागरूकता सृजित करने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों** को भी प्रोत्साहित करती है। • इसके कार्यान्वियन के एक वर्ष के भीतर 500 करोड़ रुपये के व्यय के माध्यम से, **हैप्पी सीडर/शून्य जुताई तकनीक** को भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों की 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर अपनाया गया था। • वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 32,808 मशीनरी वितरित की गई और 8,662 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए।

1.6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार

(Rashtriya Krishi Vikas Yojana - RAFTAAR) (RKVY-RAFTAAR)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कटाई-पूर्व और पश्चात कृषि संबंधी अवसंरचना के सृजन के माध्यम से कृषक प्रयासों को सुदृढ़ करना, जिससे गुणवत्ता युक्त आगत, भंडारण व बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच में वृद्धि हो	• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में वर्ष 2007 में आरम्भ की गई RKVY को हाल ही में वर्ष 2017-19 एवं 2019-20 के लिए RKVY-रफ़्तार (Remunerative Approaches for

GUPTA CLASSES

सके तथा किसानों को सूचित विकल्पों के चयन में सक्षम बनाया जा सके।

- राज्यों को स्थायी/किसानों की आवश्यकता के अनुरूप योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु स्वायत्तता और लोचशीलता प्रदान करना।
- मूल्य श्रृंखला वर्धन से संबद्ध उत्पादन प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना, जिससे किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने और साथ ही साथ उत्पादकता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सके।
- अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों, जैसे- एकीकृत कृषि, मशरूम की खेती, मधुमखीपालन आदि पर ध्यान सकेंद्रण के साथ किसानों की आय जोखिम का शमन करना।
- विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
- कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता के माध्यम से युवाओं का सशक्तीकरण करना।

Agriculture and Allied sector Rejuvenation: RAFTAAR) के रूप में संशोधित किया गया है। इसकी कार्यावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

- यह योजना राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक **लचीलापन एवं स्वायत्तता** प्रदान करती है।
- राज्यों द्वारा कृषि-जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर **जिला कृषि योजना** तथा **राज्य कृषि योजना** के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन आरम्भ किया गया है।
  - इस योजना के अंतर्गत राज्यों के कृषि विभाग, नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
- यह **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने** हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा **पोस्ट-हार्वेस्ट ढांचे को सुदृढ़** बनाने और संपूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी।
- **निधि आबंटन:** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य 90:10 अनुदान अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60:40 अनुदान अनुपात का प्रावधान किया गया है। निधि का खण्डवार वितरण:
  - नियमित RKVY-RAFTAAR (अवसरंचना और परिसम्पत्तिया एवं उत्पादन विकास) - वार्षिक परिव्यय का 70% राज्यों को अनुदानों के रूप में आवंटित किया जाएगा (इसमें से 20% फ्लेक्सी फंड होगा);
  - RKVY-रफ़्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेष उप-योजनाएं - 20%;
  - नवाचार और कृषि उद्यमी विकास - 10% (यदि निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे नियमित RKVY-रफ़्तार और उप-योजनाओं को आवंटित कर दिया जाएगा); एवं
  - केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **इसकी उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना।
  - फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) - इसे हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के स्थान पर अधिक फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
  - समस्याग्रस्त मृदा में सुधार (RPS)।
  - खुरपका और मुंहपका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)।
  - केसर मिशन।
  - त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (Accelerated Fodder Development Programme: AFDP) - सूखा प्रभावित जिलों एवं प्रखंडों में किसानों/किसान उत्पादन संगठनों (FPOs)/सहकारी संस्थाओं को चारे के अतिरिक्त उत्पादन हेतु 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर (दो हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

GUPTA CLASSES

1.6.1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

(Bringing Green Revolution to Eastern India: BGREI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। • फसल गहनता और किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु धान के परती क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। • जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और उपलब्ध जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। • पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और विपणन समर्थन (marketing support) को प्रोत्साहन देना।	• यह कार्यक्रम वर्ष 2010-11 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के 7 राज्यों अर्थात् **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल)** और **पश्चिम बंगाल** में "चावल आधारित फसल पद्धति" की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है। • इस योजना के अंतर्गत विभिन्न निम्नलिखित पहलें शामिल हैं: ○ बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का ब्लॉक या क्लस्टर विकास। ○ कृषि सुधार के लिए परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ। ○ कृषि नवीनीकरण के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियाँ। ○ बीज उत्पादन और वितरण। ○ विपणन समर्थन और कटाई-पश्चात प्रबंधन।

1.7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

(Soil Health Card Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के सभी किसानों को **प्रत्येक 2 वर्ष पर** मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार उपलब्ध हो सके। • क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना। • पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना। • संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना।	• यह वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • किसानों को जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उनके अलग-अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषक-तत्वों और उर्वरकों से संबंधित **फसल-वार अनुशंसाएँ प्रदान** की जाती हैं। • कृषकों की मांग पर अतिरिक्त फसलों हेतु अनुशंसाएं भी प्रदान की जाती है। • विशेषज्ञ खेतों से एकत्रित मृदा के सामर्थ्य और दुर्बलताओं (सूक्ष्म पोषक-तत्वों की कमी) का विश्लेषण करते हैं तथा उनसे निपटने के उपायों का सुझाव देते हैं। • इसके तहत मृदा की स्थिति को 12 मानदंडों अर्थात् - N,P,K (मुख्य पोषक-तत्व), S (गौण पोषक-तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (सूक्ष्म पोषक-तत्व); और pH, EC, OC (भौतिक मानदंड) के आधार पर मापा जाता है। • इसके आधार पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) में **जैविक खाद** सहित **छह फसलों** (3 खरीफ और 3 रबी) हेतु **उर्वरक अनुशंसाओं के दो समुच्चय** प्रदान किए जाते हैं। • किसान SHC पोर्टल पर मृदा नमूनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। • इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष की आयु तक के किसान **मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना** और जांच करने हेतु पात्र हैं। • **किसानों को प्रदत्त सहायता:** ○ सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण हेतु प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये; तथा

GUPTA CLASSES

	○ लघु मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। • हाल ही में, **'आदर्श गाँव की विकास योजना'** नामक एक पायलट परियोजना आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रिड्स आधार पर नमूने संग्रहण करने के बजाए कृषकों की भागीदारी के साथ **व्यक्तिगत खेतों से नमूनों का संग्रहण किया जाएगा।**

1.8. राष्ट्रीय कृषि बाजार

(National Agricultural Market: NAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रमाणिक मूल्यों को बढ़ावा देना। • किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना। • व्यापारियों/खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाना। एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना जो सभी राज्यों में मान्य होगा। • कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों को सुसंगत बनाना। • एकल बिंदु (अर्थात् किसान से की जाने वाली प्रथम थोक खरीद पर) पर बाजार शुल्क प्राप्त करना। • स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देना। • चयनित मंडी में या मंडी के निकट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी प्रावधान करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है तथा इस हेतु एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) से वित्तपोषण प्राप्त होता है। • NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि वस्तुओं हेतु एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण** के लिए मौजूदा APMCs और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। • स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु **प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये तक** की अनुदान राशि दी जाएगी। • अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 585 थोक विनियमित बाजार/APMC बाज़ारों को e-NAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। • NAM वस्तुतः मंडी/बाजार में स्थानीय व्यापारी को द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। • थोक क्रेता, प्रोसेसर (संसाधक), निर्यातक आदि NAM प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय मंडी/बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ प्राप्त होगा। • हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य **ई-नाम पोर्टल पर अंतर्राज्यीय व्यापार** आरंभ किया गया है। • **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को भी e-NAM पोर्टल से जोड़ा गया है तथा इनके द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों से व्यापार हेतु अपने उत्पादों को अपलोड करना आरंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश स्थित केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के 23 भंडारगृहों को **"कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2017"** के तहत डीम्ड मार्केट के रूप में घोषित किया गया है, जिससे e-NAM पोर्टल पर इन भंडारगृहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

GUPTA CLASSES

1.9. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु।	इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप में निम्नलिखित **तीन घटक** विद्यमान हैं: • **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दाल, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। • **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। • **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme: PPSS):** तिलहन के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

1.10. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश को अभिसरित करना।
• जलाशयों के पुनर्भरण में वृद्धि करना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना।
• पेरी-अर्बन कृषि (peri urban agriculture) में नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।
• सिंचाई में महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना।
• जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
	• **विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना** और कार्यान्वयन संरचना ताकि राज्य डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान (DIP) तथा स्टेट इरीगेशन प्लान (SIP) का निर्माण कर सकें। PMKSY फंड का उपयोग करने हेतु इस प्लान का निर्माण आवश्यक है। इसके तहत खेत स्तर पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
	• प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित अंतर-मंत्रालयी **नेशनल स्टीयरिंग कमेटी (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा।
	• PMKSY को वर्तमान में जारी निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित कर तैयार किया गया है:
	  ○ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP);
	  ○ भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP);
	  ○ कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)।
	• **वाटर बजटिंग:** घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाती है।

GUPTA CLASSES

	• हाल ही में, **PMKSY के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) का सृजन** किया गया है। यह अपूर्ण प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करेगी। • राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PMKSY के तहत नाबार्ड के अंतर्गत एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** को स्थापित किया गया है।

Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)	PMKSY (Har Khet ko Pani)	PMKSY (Per Drop More Crop)	PMKSY (Watershed Development)
• Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation • Faster completion of ongoing Major and Medium Irrigation including National Projects	• Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation • Creation of new water sources through Minor Irrigation (both surface and ground water) • Repair, restoration and renovation of water bodies; • Strengthening carrying capacity of traditional water sources, construction of rain water harvesting structures (Jal Sanchay); Jal Mandir (Gujarat); Khatri, Kuhl (H.P.); Zabo (Nagaland); Eri, Ooranis (T.N.); Dongs (Assam); Katas, Bandhas (Odisha and M.P.) • Command area development	• Ministry of Agriculture • Promoting efficient water conveyance and precision water application devices like drips, sprinklers, pivots, rain - guns in the farm (Jal Sinchan) • Extension activities for promotion of scientific moisture conservation, Crop combination, crop alignment etc., • (ICT) interventions through NeGP – precision irrigation technologies, on farm water management, crop alignment etc. and also to do intensive monitoring of the Scheme.	• Department of Land resources, Ministry of Rural development • Effective management of runoff water and improved soil & moisture conservation activities • Converging with MGNREGS • DPAP, DDP and IWDP were consolidated under this component • Cluster Approach in selection and preparation of projects • *Read more on Neeranchal National Watershed Project under Ministry of Rural Development*

1.11. युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना

(Sahakar-Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
यह युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा तैयार की गई युवाओं के अनुकूल एक योजना है। यह सहकारी समितियों को नए और नवाचारी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।	• **आरंभकर्ता:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) • **सहकारी स्टार्ट-अप एवं नवाचार निधि (CSIF):** 100 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय उद्देश्य के साथ NCDC द्वारा सृजित CSIF से इस योजना को संबद्ध किया जाएगा तथा इसमें महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहकारी समितियों एवं आकांक्षी जिलों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। • **वित्तीयन:** इस परियोजना के तहत वित्तपोषण, विशेष श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक होगा, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 70 प्रतिशत है। इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर, प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी। • **पात्रता:** कम से कम एक वर्ष से परिचालनरत और सकारात्मक निवल संपत्ति वाली सभी प्रकार की सहकारी समितियां पात्र हैं।
NCDC के बारे में	• यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एकमात्र वैधानिक संगठन है, जो शीर्ष वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में कार्यरत है तथा विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के प्रति समर्पित है।

GUPTA CLASSES

	• यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, जैसे- डेयरी, कुक्कुट, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की ओटाई (जिनिंग) व कताई, चीनी और अधिसूचित सेवाओं, जैसे- आतिथ्य, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पतालों/स्वास्थ्य आदि से संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करता है। • इसके द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु **मिशन सहकार-22** की शुरूआत की गई है।

1.12. किसान क्रेडिट कार्ड

(Kisan Credit Card: KCC)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।	• सभी किसान- व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है। • काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बंटाईदार आदि। • काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह।	• KCC के तहत वितरित ऋण का आधार व्यापक होता है और इसका उपयोग **अल्पकालिक ऋण के रूप में** फसलों की बुआई, फसल कटाई के पश्चात् आवश्यक व्यय, उत्पाद विपणन से संबंधित ऋण, कृषक परिवार की उपभोग आवश्यकता आदि के लिए किया जा सकता है। • KCC योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए वितरित किए जाने वाले ऋण फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। • यह ATM की सुविधा युक्त रुपे (RuPay) कार्ड, एकबारगी दस्तावेज़ीकरण और कुछ शर्तों के तहत आहरण की सुविधा प्रदान करता है। • इस योजना के तहत बाह्य, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप KCC धारकों की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता संबंधी जोखिम को कवर किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा KCC को और अधिक सुगम बनाने हेतु अन्य पहलें भी आरंभ की गई हैं, जिसमें **पशु एवं मत्स्य पालन** में संलग्न किसानों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, KCC के तहत ऋण प्राप्ति हेतु कोई प्रक्रिया (processing) शुल्क आरोपित नहीं किया जाता है तथा संपार्श्विक (collateral) मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

1.13. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण

(Strengthening & Modernization of Pest Management Approach in India: SMPMA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करना।
• कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
• रासायनिक कीटनाशकों से
	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना** है। यह योजना निम्नलिखित घटकों के साथ प्रारंभ की गई है:
	  ○ **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM):** यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है।
	  ○ **टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान (LCR):** इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात और हरियाणा) में टिड्डियों की निगरानी, पूर्वसूचना और नियंत्रण तथा टिड्डी (locust) और टिड्डों (grasshoppers) पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गयी है।

GUPTA CLASSES

संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना।	○ **कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन:** यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। ○ **कार्यान्वयन एजेंसी:** 35 केंद्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMCs)।

1.14. जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल

(National Initiative on Climate Resilient Agriculture: NICRA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बेहतर उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि (जिसमें फसलें, पशुपालन और मत्स्यपालन सम्मिलित हैं) की प्रत्यास्थता में वृद्धि करना। • वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के **खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज** का प्रदर्शन करना। • जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण को बेहतर बनाना।	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। • यह देश में वर्षा की **सुभेद्यता** हेतु विभिन्न फसलों/क्षेत्रों के महत्वपूर्ण आकलन पर विचार करती है। • यह बड़े क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों की माप के लिए फलक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना करती है। • यह धान की कृषि की नई एवं उभरती पद्धतियों का व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन करती है। • परियोजना में निम्नलिखित **चार घटक** सम्मिलित हैं: **रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।**

1.15. ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किफायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराना।	• यह किसानों को 7% ब्याज वाले 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण पर 2% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान प्रदान करती है। • "समय से भुगतान करने वाले किसानों" को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। • ब्याज अनुदान का लाभ उपज को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के उद्देश्य से परक्राम्य वेयरहाउस (Negotiable Warehouse) रसीदों के एवज में ऋण लेने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु एवं सीमांत किसानों को छह माह की अवधि (फसल-कटाई पश्चात्) हेतु विस्तारित किया गया है। • यह ब्याज अनुदान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा RRBs को प्रदान किया जाएगा। साथ ही, RRBs एवं सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए NABARD को भी ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। • इस योजना के तहत चार सेगमेंट में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा: ○ अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान; ○ पोस्ट हार्वेस्ट लोन पर ब्याज अनुदान; ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ब्याज अनुदान; तथा ○ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान।

GUPTA CLASSES

1.16. आर्या परियोजना

(Arya Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए विभिन्न कृषि एवं संबद्ध और सेवा क्षेत्रक के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। • कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन जैसी गतिविधियों में अपने संसाधनों एवं पूंजी के निवेश हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने में सक्षम बनाना।	• भारत सरकार ने वर्ष 2015 में **"आर्या" (Attracting and Retaining Youth in Agriculture)** नामक परियोजना आरम्भ की। • इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। KVKs इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे। • एक जिले में, 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशील गतिविधियों हेतु उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिन्हित किया जाएगा। • कृषि विकास केंद्रों पर भी एक या दो उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

1.17. कृषि विज्ञान केंद्र

(Krishi Vigyan Kendras: KVK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि में फ्रंटलाइन विस्तार के लिए और किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। • स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों का क्षमता निर्माण करना।	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 669 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, 106 KVKs और स्थापित किए जाएंगे। • KVKs द्वारा ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों के **कौशल विकास प्रशिक्षण** पर अत्यधिक बल दिया जाता है। • ये बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। • ये जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित फसल/उद्यम से संबंधित अनुशंसाओं के बारे में समय-समय पर किसानों को परामर्श प्रदान करते हैं। • ये जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित समस्याओं को चिन्हित एवं हल करते हैं। साथ ही, नवाचारों को अपनाने हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। ○ यह **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली** (NARS) का एक अभिन्न अंग है। • KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है तथा कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों हेतु KVKs का अनुमोदन किया जाता है।

1.18. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

(National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• चयनित कृषि विश्विद्यालयों (AUs) में उच्चतर कृषि शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना।	• **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। • **घटक:** ○ **संस्थागत विकास योजनाएं (IDPs):** NAHEP चयनित प्रतिभागी AUs को

GUPTA CLASSES

• छात्र एवं संकाय विकास। • अधिगम परिणामों, नियोजनीयता और उद्यमिता में सुधार करना। • संस्थागत और प्रणालीगत प्रबंधन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना।	**संस्थागत विकास अनुदान** प्रदान करेगी, जो AU के छात्रों हेतु अधिगम परिणाम एवं भावी रोज़गार तथा संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करेगा। ○ **सेंटर ऑफ़ एडवांस एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CAAST):** चयनित प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को महत्वपूर्ण एवं उभरते कृषि विषयों पर शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के लिए बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने हेतु CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा। ○ AUs द्वारा सुधारों (अर्थात् मान्यता प्राप्त करना) को अपनाने हेतु चयनित प्रतिभागी **AU को नवाचार अनुदान** प्रदान किया जाएगा; और मौजूदा सुधार को अपना चुके AUs एवं अन्य अंतरराज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिभागियों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान किया जाएगा। ○ **परिणाम निगरानी एवं मूल्यांकन:** शिक्षा प्रभाग/ICAR द्वारा निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ताकि सभी NAHEP घटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जा सके।

1.19. अन्य पहलें

(Other Initiatives)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Program)	• इसका लक्ष्य पांच प्रमुख दलहनी फसलों (प्रत्येक हेतु 1,000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में) के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकियों एवं प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन करना है। ये पांच प्रमुख दलहनी फसलें हैं: बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम (उड़द बीन), रेड ग्राम (अरहर), ग्रीन ग्राम (मूंग) और लेंटील (मसूर)। • यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और NFSM-Pulses (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दाल) के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। • इसे एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (INM) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। • इस कार्यक्रम को **'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग'** निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है: (i) दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक/आयुक्त; और (ii) केंद्र सरकार की संस्था: ICAR-NCIPM (नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट)।
कृषि विपणन अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund: AMIF)	• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कृषि विपणन अवसंरचना कोष (AMIF) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गयी है। • इसे नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत सृजित किया जाएगा तथा यह 585 कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) और 10,000 गावों में विपणन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को उनके प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगा। • राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नवाचारी एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए AMIF तक पहुँच स्थापित कर सकते हैं।
ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट	• कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार को विकसित करने के लिए कृषि विपणन विकास कोष के तहत बजट 2017-18 में GrAMs का शुभारम्भ किया गया।

GUPTA CLASSES

(GrAMs)	• इस पहल के तहत 22,000 ग्रामीण हाट और 585 APMC बाजारों को विकसित एवं अद्यतित कर उन्हें GrAMs के रूप में स्थापित किया जाएगा। • इन GrAMs में मनरेगा (MGNREGA) और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। • इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से भी लिंक किया जाएगा और APMC विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। • ये किसानों को अपने उत्पादों की उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
कृषि बाजार सूचना नेटवर्क (AGMARKNET) पोर्टल	• यह एक ई-गवर्नेंस पोर्टल (G2C के रूप में) है जो सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन से संबंधित सूचना प्रदान करके किसानों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। • यह देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है
ई-कृषि संवाद	• यह एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस है जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान के लिए अपनी समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से संपर्क कर सकते हैं। • हितधारक विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचारात्मक उपायों के लिए रोगग्रसित फसलों, जानवरों या मछलियों की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। • SMS या वेब के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा उचित समाधान प्रदान किया जाएगा।
ई-रकम पोर्टल	• यह MSTC लिमिटेड {इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU)} और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी की एक संयुक्त पहल है। • किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता हेतु यह एक नीलामी मंच है, साथ ही यह उनकी उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। • किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव	• इसके तहत मुख्य बल किसान के खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Farm, Innovations, Resources, Science and Technology: FIRST) पर दिया गया है।
	• यह ICAR की एक पहल है, जो निम्नलिखित पर केंद्रित है:
	  ○ समृद्ध किसान - वैज्ञानिक इंटरफ़ेस;
	  ○ प्रौद्योगिकी संयोजन, आवेदन एवं प्रतिक्रिया;
	  ○ साझेदारी एवं संस्थागत भवन; एवं
	  ○ सामग्री का एकत्रण।
	• यह विभिन्न कृषि-परिस्थितियों में किसानों की आय वृद्धि मॉडल के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उद्यमशील गतिविधियों को चिन्हित एवं एकीकृत करेगी।

हॉर्टिनेट-फार्मर कनेक्ट एप	• यह **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** द्वारा विकसित खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है, जो मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्मों के पंजीकरण, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है।

GUPTA CLASSES

	• यह राज्य के बागवानी/कृषि विभाग को किसानों, खेतों की अवस्थिति, उत्पादों एवं खेत से प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण के वास्तविक विवरणों को अभिग्रहण करने में भी सहायता करेगा।
जीरो हंगर प्रोग्राम	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से पारस्परिक और बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना है। • यह भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
मेघदूत ऐप	• **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** और **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा **मेघदूत (MEGHDOOT)** नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है, जो किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करेगा। • इसे **भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology)** तथा **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research)** के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। • मंत्रालय द्वारा किसानों को तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु गति एवं दिशा के संबंध में पूर्वासूचना उपलब्ध करायी जाएगी, जो कृषिगत परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। • हालांकि, ये सूचनाएं वास्तविक समय पर आधारित नहीं हैं, परंतु इन्हें सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को अवश्य अपडेट किया जाता है।
एग्री उड़ान	• इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के सुदृढ़ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, उद्योग नेटवर्किंग तथा निवेशकों को विशिष्ट सहयोग प्रदान कर खाद्य और कृषि व्यवसाय आधारित स्टार्ट-अप्स का उन्नयन करना है। • इसे भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि व्यवसाय उत्प्रेरक की संज्ञा दी गयी है तथा इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (ICAR-NAARM)** और **भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के इनक्यूबेटर केंद्रों** द्वारा प्रारम्भ किया गया है।
मेरा गाँव-मेरा गौरव	• इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। • इनमें से प्रत्येक संस्थान और विश्वविद्यालय में चार बहु-विषय वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किमी की परिधि के भीतर पांच गांवों को "गोद लेंगे" तथा किसानों को तकनीकी एवं और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी एक समय सीमा के भीतर प्रदान करेंगे।
एकीकृत पैकेज बीमा योजना	• इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है तथा किसानों के भू-स्वामित्व अधिकारों एवं उपजाई गई फसलों के आधार पर उन्हें उपज आधारित फसल बीमा उपलब्ध करवाना है। • **इसके अंतर्गत** फसल बीमा {प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS)}, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा, छात्र सुरक्षा बीमा (विद्यार्थी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और दिव्यांगता एवं पिता या माता की मृत्यु की स्थिति में) तथा व्यक्तिगत व पेशागत परिसंपत्तियों का बीमा **शामिल हैं**। • इस योजना के तहत एक वर्षीय बीमा का प्रावधान किया गया है तथा जिसे प्रतिवर्ष नवीकरणीय किया जा सकता है।

GUPTA CLASSES

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना	• **उद्देश्य:** जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / संधारणीय कृषि के क्षेत्र में **व्यावसायिक सहायता** उपलब्ध कराना तथा इन क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना है। • ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना वर्ष 2016 में आरम्भ की गई थी। • इसे **उन्नत भारत अभियान** के तहत संचालित किया जा रहा है। • इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। **प्रशिक्षण केंद्रों** का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं या अपने खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत, मौलिक, सिद्धांतों और प्रचलनों के जानकार हैं।

GUPTA CLASSES

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

2.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना

{Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF) scheme}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थियों	प्रमुख विशेषताएं
अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के सृजन हेतु डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनरी को आधुनिकीकृत करने और उनमें दक्षता लाने के लिए अवसंरचना में निवेश करना।	• इससे 50,000 गांवों के 95 लाख **दुग्ध उत्पादक** लाभान्वित होंगे। • **अंतिम उधारकर्ताओं** (End Borrowers), जैसे- दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ, दुग्ध सहकारी संस्थाएं, दुग्ध उत्पादक कंपनियां आदि।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे **पशुपालन और डेयरी विभाग** द्वारा प्रारम्भ किया गया था। • इस योजना के अंतर्गत **कोष की स्थापना नाबार्ड (NABARD) के तहत** की गई है। वित्तीयन ब्याज सहायता के रूप में होगा, जिसे अंतिम उधारकर्ताओं के माध्यम से प्रत्यक्षतः **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। • संबंधित राज्य सरकार ऋण अदायगी की **प्रत्याभूति** प्रदान करेगी। • हाल ही में, सरकार ने डेयरी क्षेत्र को दिए जाने वाले **ऋण पर ब्याज सहायिकी या सब्सिडी** को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। • इस योजना की **वित्तपोषण अवधि** को संशोधित किया गया है (पूर्व में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 थी तथा वर्तमान में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक कर दिया गया है) और पुनर्भुगतान अवधि को वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है।

2.2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(National Animal Disease Control Programme: NADCP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पशुधन में खुरपका मुंहपका रोग और पशुजन्य माल्टा-ज्वर (ब्रूसेलोसिस) को नियंत्रित करना तथा वर्ष 2030 तक इनका पूर्णतः उन्मूलन करना है।	• इस योजना के अंतर्गत **खुरपका-मुंहपका रोग (FMD)** के विरुद्ध संरक्षण हेतु मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर सहित 600 मिलियन से अधिक पशुधन के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव के लिए प्रतिवर्ष दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बछड़ों का टीकाकरण करना भी है। • **वित्त पोषण:** वर्ष 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • कृषि मंत्रालय तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 'खुरपका मुंहपका रोग मुक्त भारत' पहल का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत उन सभी राज्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें छह माह पर किए जाने वाले टीकाकरण योजना के तहत समाविष्ट नहीं किया गया था। ○ **FMD** पशुधन से संबंधित एक गंभीर व अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है,

GUPTA CLASSES

	जो अत्यधिक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस रोग से मवेशी, शूकर, भेड़, बकरी तथा अन्य खुरयुक्त जुगाली करने वाले पशु प्रभावित होते हैं। ○ **पशुजन्य माल्टा-ज्वर या ब्रूसिलोलिस (Brucellosis)** जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो विभिन्न **ब्रूसिला जीवाणु प्रजातियों** के कारण होता है। यह रोग मुख्यतया मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों में उत्पन्न होता है। मनुष्यों में यह रोग मुख्यतया दूषित पशु खाद्य पदार्थों के सेवन अथवा वायुवाहित अभिकारकों के अन्तःश्वसन द्वारा संक्रमित पशुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से उत्पन्न होता है।

2.3. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

(Nationwide artificial Insemination Programme: NAIP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करना।	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 माह में 1 करोड़ से अधिक बोवाइन (गोजातीय) आबादी का गर्भाधान करना और उनके कानों पर **'पशुआधार'** टैग लगाना है। पशुआधार पशुओं को प्रदत्त एक विशिष्ट पहचान है, जो नस्ल, आयु, लिंग और उसके स्वामी के विवरण के आधार पर विशेष पशुओं की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में सरकार को सक्षम बनाता है। • इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाय और भैंस की टैगिंग की जाएगी और उन्हें **पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना तंत्र (INAPH) डेटाबेस** के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। • NAIP एक मिशन मोड संचालित एक आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य **सभी नस्ल की बोवाइन को कवर करना है** ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करने के साथ कम लागत की प्रजनन तकनीक का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सके। • उल्लेखनीय है कि बोवाइन आबादी के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लगभग 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राप्त होते हैं।

2.4. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

(National Mission on Bovine Productivity)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।	• इसे दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। • इस मिशन को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है - ○ **पशु संजीवनी:** यह एक कल्याण कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक दुधारू पशु को UID के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान और एक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अन्य विवरणों के साथ उसकी नस्ल, आयु और टीकाकरण के विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है। ○ **उन्नत प्रजनन तकनीक:** उन्नत प्रजनन तकनीक के तहत 10 A ग्रेड वाले वीर्य केंद्रों पर सेक्स सोर्टेड सीमन प्रोडक्शन फैसिलिटी (sex sorted semen production facility) का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, भारत में 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)' की सुविधा वाली 50 भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्योगिकी प्रयोगशालाएँ भी खोली जा रही हैं। ○ **ई-पशु हाट पोर्टल:** यह स्वदेशी नस्ल के प्रजनकों और किसानों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए एक ई-ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है। ○ जीनोमिक चयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए **'स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक सेंटर'** की स्थापना की गयी है।

GUPTA CLASSES

2.5. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम

(National Program for Bovine Breeding and Dairy Development: NPBBDD)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• बोवाइन (गोजातीय) संबंधी गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं तक किसानों की सुगमतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना।
• उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्व वाले चयनित स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण, विकास और वंश वृद्धि सुनिश्चित करना।
• दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का निर्माण करना और इसे सुदृढ़ता प्रदान करना।
• डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करना।
• डेयरी सहकारी समितियों / उत्पादक कंपनियों को ग्रामीण स्तर पर सशक्त बनाना।
	• इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में *नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग* (NPCBB), *इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम* (IDDP), *स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन* (SIQ & CMP) और *असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव* (A-C) जैसी तत्कालीन योजनाओं का विलय कर की गई थी।
	• इस योजना के **तीन घटक** हैं-
	  ○ **नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (NPBB)**: यह प्रजनन आगतों को किसान तक पहुंचाने के लिए **MAITRI** (मल्टी पर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया) की स्थापना करेगा।
	  ○ राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
	  ○ राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन	• स्वदेशी नस्लों के आनुवांशिक संघटन में सुधार करने और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम।
	• दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
	• गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों का उपयोग कर विशिष्ट नस्लों (nondescript breeds) के आनुवंशिक संघटन को उन्नत बनाना।
	• स्वदेशी नस्लों के स्थानीय प्रजनन क्षेत्रों में एकीकृत स्वदेशी मवेशी केंद्र या **गोकुल ग्रामों** की स्थापना।
	• इस योजना को 100% अनुदान के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।
	• **महत्वपूर्ण कदम:**
	  ○ **गोपाल रत्न पुरस्कार:** स्वदेशी नस्ल/नस्लों के उत्कृष्ट समूह को बनाए रखने वाले और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने वाले किसानों के लिए।
	  ○ **कामधेनु पुरस्कार:** संस्थानों/ट्रस्टों/गैर-सरकारी संगठनों/गौशालाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी समूह या सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित ब्रीडर्स सोसायटीज़ हेतु।
	  ○ **गोकुल ग्राम:** ये वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी मवेशी पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक एकीकृत मवेशी विकास केंद्र हैं। ये स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणों वाले बैलों के प्रवर्धन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही, आधुनिक फार्म प्रबंधन प्रथाओं के अनुकूलन तथा किफायती तरीके से पशु अपशिष्ट, जैसे कि गाय के गोबर/मूत्र के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

2.6. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I

(National Dairy Plan-I)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को	• यह **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** द्वारा लागू एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। • NDP-1 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश आदि पर केंद्रित होगी।

GUPTA CLASSES

सहायता प्रदान करना।	• इस योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं: ○ उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ संग्रहित दुग्ध का भार मापने, गुणवत्ता का परीक्षण करने तथा दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करने हेतु गांव आधारित दुग्ध खरीद प्रणालियाँ स्थापित करना। ○ परियोजना प्रबंधन और गहन अध्ययन।

2.7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(Dairy Entreprenuership Development Scheme: DEDS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शुद्ध दुग्ध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना। • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना ताकि दुग्ध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर किया जा सके। • व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोजगार का सृजन करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	• डेयरी वेंचर कैपिटल फंड (DVCF) योजना को संशोधित किया गया और वर्ष 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) रखा गया था। • यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। **नोडल एजेंसी के रूप में इसका कार्यान्वयन नाबार्ड** द्वारा किया जा रहा है। • यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

2.8. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन

(Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र में विद्यमान देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्णतया दोहन करना तथा 2020 तक उत्पादन को तीन गुना करना। • मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स, अन्य प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम नवाचारों के साथ-साथ उत्पादकता वृद्धि एवं बेहतर मार्केटिंग व पोस्टहार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। • सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और अन्य संस्थाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा साथ ही 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना। • देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना।	• यह नीली क्रांति के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। • यह एक अम्ब्रेला योजना है जो सभी मौजूदा योजनाओं का विलय कर निर्मित की गयी है। • इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 2015-16 के 107.95 लाख टन से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक 150 लाख टन तक करना है। • इस योजना में **निम्नलिखित घटक** सम्मिलित हैं: ○ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और इसके कार्य। ○ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि विकास। ○ सागरीय मत्स्यन क्षेत्रों का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के डेटाबेस और उसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था। ○ देख-रेख, नियंत्रण और निगरानी तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप। ○ राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना। • नीली क्रांति के तहत **मिशन फिंगरलिंग** को प्रारंभ किया गया है, जो मत्स्य पालन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना करता है। ○ इसका लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को 10.79 मीट्रिक मिलियन टन (2014-15) से बढ़ाकर 2020-21 तक 15 मीट्रिक

GUPTA CLASSES

	मिलियन टन करना है। ○ इस योजना के माध्यम से देश में फिश फिंगरिंग, पोस्ट लार्वा झींगा तथा केकड़े के निश्चित स्तर पर उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु हैचरी और रियरिंग (rearing) पोंड की स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी।

2.9. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम

(Quality Milk Programme)

उद्देश्य	
• दुग्ध की घरेलू खपत के लिए वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करना और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के साथ-साथ विश्व निर्यात में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि करना। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत की विश्व डेयरी निर्यात बाजार में केवल 0.01% हिस्सेदारी है। • सभी सहकारी डेयरी संयंत्रों को अपने उपभोक्ताओं को सभी सूक्ष्मजैविकी/ रासायनिक मानकों पर परीक्षण किए गए गुणवत्ता युक्त दुग्ध की आपूर्ति करने में सक्षम बनाना।	• पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने जुलाई, 2019 में **'गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम' प्रारंभ** किया था। • वर्ष 2019-20 के दौरान इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में, **दुग्ध** में मिलावट (यूरिया, माल्टोडेक्सट्रिन, अमोनियम सल्फ़ेट, डिटर्जेंट, शुगर, न्यूट्रलाइज़र आदि) का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NDPP) योजना के तहत 231 डेयरी संयंत्रों को साधनों से सुसज्जित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। • फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड (FTIR) प्रौद्योगिकी-आधारित **दुग्ध विश्लेषक** (दुग्ध की संरचना और मिलावट का सही पता लगाने एवं आकलन करने के लिए) को स्वीकृति प्रदान की गई है। • इसके अतिरिक्त 18 राज्यों में प्रत्येक के लिए एक-एक केंद्रीय प्रयोगशाला को अनुमोदित किया गया है।

2.10. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission: NLM)	• इसमें पशुधन का संधारणीय विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह गुणवत्तापूर्ण पशु-आहार एवं चारे की उपलब्धता में सुधार पर भी केंद्रित है। • **NLM के तहत उप-मिशन:** पशुधन विकास पर उप-मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास पर उप-मिशन, पशु-आहार तथा चारा विकास पर उप–मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन।
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF)	• **वित्त पोषण:** अनुमोदित प्रस्ताव के तहत 7,522 करोड़ रूपये के अनुमानित कोष का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अधिकांश योगदान नोडल ऋणदाता निकायों (NLEs) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के योगदान को भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही भारत सरकार की ओर से बजटीय समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। • **प्रमुख ऋणदाता निकायों (NLE)**: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे। • **वित्तीय निवेश गतिविधियां**: मत्स्य पालन विकास की चिन्हित निवेश गतिविधियों के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) अवसंरचना विकास कोष (FIDF) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों एवं उद्यमियों आदि को रियायती वित्त प्रदान करेगा।

GUPTA CLASSES

ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)	• ग्लैंडर्स घोड़े, गधे और खच्चर सहित **अश्व प्रजाति (equines)** में होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग **मनुष्यों** को भी हो सकता है। • यह रोग **बैक्टीरियम** बुर्खोलडेरिया मल्लेई (bacterium Burkholderia mallei) के कारण होता है तथा इस रोग हेतु कोई **टीका** उपलब्ध नहीं है। • कार्य योजना के अनुसार, संक्रमित जानवर को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। पूर्ण रूप से आवश्यक होने पर, प्रभावित जानवर को समाप्त करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन करके बंद साधनों के माध्यम से निपटान किया जा सकता है। शवों के निस्तारण और निपटान के दौरान सभी चिड़िया घरों द्वारा स्वच्छता संबंधी उपायों का पालन किया जाना आवश्यक हैं।

GUPTA CLASSES

3. आयुष मंत्रालय

(Ministry of Ayush)

3.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन

(National Ayush Mission: NAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना।
• राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।
• उत्तम कृषि पद्धतियों (गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना।
• कृषि, वेयरहाउसिंग, मूल्य संवर्द्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता तथा उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना।
	• यह वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
	• आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी** शामिल हैं।
	• इस मिशन के घटक:
	  ○ **अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)**
	    ▪ आयुष सेवाएं {आयुष सुविधाओं की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना}
	    ▪ आयुष शैक्षणिक संस्थान।
	    ▪ ASU &H औषधियों और औषधीय पौधों का गुणवत्ता नियंत्रण।
	    ▪ **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:** योग और परामर्श के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना।
	  ○ **लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)**
	    ▪ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र।
	    ▪ IEC गतिविधियाँ।
	    ▪ टेली-मेडिसिन।
	    ▪ औषधीय पौधों के लिए फसल बीमा।
	    ▪ सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रावधान और निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी घटक।
	• **निगरानी और मूल्यांकन:** केंद्र/राज्य स्तर पर समर्पित MIS निगरानी और मूल्यांकन इकाई (सेल) स्थापित की जाएगी।
	• **आयुष ग्राम:** प्रति ब्लॉक से एक गांव का चयन किया जाएगा, विशेषकर जहां आयुष आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है।
	• आयुष मंत्रालय के द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के 10% स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के संचालन का निर्णय लिया गया है।
	• इसलिए, NAM के तहत 1,032 आयुष औषधालयों को

GUPTA CLASSES

	आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। • औषधीय पौधों की कृषि हेतु किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

3.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

(Central Sector Scheme For Promoting Pharmacovigilance of Ayush Drugs)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के लिखित साक्ष्य रखने की संस्कृति विकसित करना तथा इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करने के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • यह नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (NPvCC), इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर (IPvCCs) और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स (PPvCC) का एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क है। • नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान**, आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, जिसे इस पहल के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु NPvCC के रूप में नामित किया गया है।

3.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
मिशन मधुमेह	• गैर-संक्रामक रोग मधुमेह का नियंत्रण एवं लागत प्रभावी उपचार प्रदान करना। • वर्ष 2016 में लॉन्च की गई, यह योजना संपूर्ण देश में आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए **राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल** के माध्यम से लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	• गाँवों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही, घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई के बारे में जागरुकता का प्रसार करना। स्वास्थ्य संवर्द्धन और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु रैलियों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार, जिसमें व्यक्तिगत, पर्यावरण तथा सामाजिक स्वच्छता के संबंध में जागरुकता के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)	• **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को कम कर बायो-पायरेसी को प्रतिबंधित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणालियों के निर्देशानुसार इस पारंपरिक ज्ञान को वर्गीकृत करना। • यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष मंत्रालय की एक सहयोगी परियोजना है। • TKDL के तहत लगभग 1,250 सूत्रीकरण (formulations) को शामिल किया गया है, जिन्हें स्थानीय भाषाओं (जैसे- संस्कृत, उर्दू, तमिल आदि) में मौजूद भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन्हें अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डिजिटाइज्ड सर्चेबल डेटाबेस में परिवर्तित किया गया है।
राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना (National AYUSH Grid	• इसे सभी स्तरों, यथा- अनुसंधान, शिक्षा, योजना और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य

GUPTA CLASSES

Project)	सेवा वितरण के विकास के लिए आयुष क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिक (IT) को शामिल करने हेतु प्रारंभ किया गया है। • मंत्रालय द्वारा आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (A-HMIS), योग लोकेटर एप्लीकेशन, टेलीमेडिसिन आदि जैसी कई पायलट परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया है, जिन्हें पायलट अवधि पूर्ण होने के पश्चात् आयुष ग्रिड परियोजना में विलय कर दिया जाएगा।
एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान योजना (Scheme for Integrated Health Research: SIHR)	• SIHR को नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया (AGNI प्लेटफॉर्म) के सहयोग से तैयार किया गया है। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य शोध आधारित एकीकृत प्रथाओं के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष प्रणालियों के एकीकरण संबंधी अप्रयुक्त लाभों को प्राप्त करना है।

GUPTA CLASSES

4. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(Ministry of Chemicals and Fertilizers)

4.1. उर्वरक विभाग

(Department of Fertilisers)

4.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और सब्सिडी के बोझ को कम करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।	• पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के तहत **सब्सिडी की एक निश्चित राशि को वार्षिक तौर पर सब्सिडी प्राप्त फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक (P&K)** उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके **पोषक तत्व के आधार** पर प्रदान किया जाता है। • इस योजना के तहत फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों के **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** के निर्धारण को मुक्त रखा गया है तथा निर्माताओं/आयातकों/विपणकों को उचित स्तर पर इन उर्वरकों के MRP नियत करने की अनुमति प्रदान की गयी है। • MRP का निर्धारण P&K उर्वरकों के **अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दरों तथा देश में इनके भंडार के स्तर** को ध्यान में रखकर किया जाएगा। • P&K उर्वरकों के 22 ग्रेड नामतः DAP, MAP, TSP, MOP, अमोनियम सल्फेट, SSP तथा NPKS के 16 ग्रेड [नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)] जैसे जटिल उर्वरकों को NBS नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। • हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **NBS योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट** नामक एक जटिल उर्वरक को शामिल करने हेतु भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4.1.2. भारत में यूरिया सब्सिडी

(Urea Subsidy in India)

- यूरिया सब्सिडी **उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्रक योजना का एक भाग है।**
- किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- यूरिया इकाइयों द्वारा खेत पर ही उर्वरकों के वितरण की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के मध्य अंतर को भारत सरकार यूरिया निर्माता / आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इसमें देश भर में **यूरिया के संचरण हेतु माल-भाड़ा सब्सिडी भी सम्मिलित है।**
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण किसान द्वारा वहनीय MRP पर यूरिया की खरीद की जा रही है।

4.1.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम

(City Compost Scheme)

• स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन प्रदान करना तथा किसानों को सब्सिडीकृत मूल्यों पर सिटी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध कराना।	• इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी अपशिष्ट से बनने वाली खाद) पर **बाजार विकास सहायता** के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में

GUPTA CLASSES

	वृद्धि करना है। • **उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं** के माध्यम से सिटी कंपोस्ट के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कंपनियों द्वारा गांवों को भी गोद लिया जाएगा। • इस हेतु एक उचित **BIS मानक/इको-मार्क** के माध्यम से किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4.2. औषध विभाग

(Department of Pharmaceuticals)

4.2.1. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना

(Scheme for Promotion of Medical Device Parks)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य राज्यों के साथ भागीदारी करते हुए देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है।	• इन योजनाओं को 2020-21 से 2024-25 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementing Agency: SIA) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। • राज्यों को प्रति पार्क अधिकतम 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। • 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए साझा अवसंरचना सुविधा केंद्रों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। • इससे देश में चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण लागत कम होना अपेक्षित है। **नोट:** भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है।

4.2.2. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन

(Promotion of Bulk Drug Parks)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों के साथ मिलकर भारत में **3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स** विकसित करना। • देश में थोक औषधि (**बल्क ड्रग**) की विनिर्माण लागत और **बल्क ड्रग** के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करना।	• प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार राज्यों को अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। • पार्कों में विभिन्न साझा सुविधाएं होंगी, जैसे- घोलक संयंत्र, आसवन संयंत्र, विद्युत और भाप संयंत्र, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्र आदि। • यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। • इस योजना के लिए **आगामी 5 वर्षों हेतु 3,000 करोड़ रुपये** की राशि स्वीकृत की गई है। मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग है। इस उपलब्धि के बावजूद भारत मूलभूत कच्ची सामग्री (जैसे- दवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली थोक औषधियाँ) के लिए आयात पर निर्भर है। कुछ विशेष बल्क ड्रग के मामले में आयात पर निर्भरता 80 से 100 प्रतिशत तक है।

GUPTA CLASSES

4.2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट्स और APIs के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए)

{Production Linked Incentive Scheme (For Promotion of Domestic Manufacturing of Critical Ksms/Drug Intermediates and APIS)}

(इसी नाम से MeitY द्वारा भी एक योजना लॉन्च की गई है।)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट सामग्री और APIs में बृहद् निवेश को आकर्षित करने के माध्यम से घरेलू विनिर्माण/उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट सामग्री और APIs उत्पादन में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी।	• चिन्हित 53 अति महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के अर्ह विनिर्माताओं को आगामी 6 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उत्पादन वृद्धि पर आधारित होगी तथा इसके लिए वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना जाएगा। • 53 चिन्हित बल्क ड्रग्स में से 26 किण्वन पर और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं। • किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिए छूट की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) तथा रसायन संश्लेषण आधारित बल्क ड्रग्स के लिए यह दर 10% होगी। • यह योजना **औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। • **आगामी 8 वर्षों** के लिए **6,940 करोड़ रुपये** की राशि स्वीकृत की गई है।

4.2.4. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु)

{Production Linked Incentive (PLI) Scheme (For Promoting Domestic Manufacturing of Medical Devices)}

(इसी नाम से MeitY द्वारा भी एक योजना लॉन्च की गई है।)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।	• स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक फॉर्मास्यूटिकल्स विभाग द्वार नामित की जाने वाली एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। • इस योजना के अंतर्गत आधार वर्ष 2019-20 के दौरान पहचाने गए चिकित्सा उपकरण खंडों पर वृद्धिशील बिक्री के **5%** की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • इसका लक्ष्य, चिकित्सा उपकरणों की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत **लगभग 25-30 विनिर्माताओं** को सहायता प्रदान करना है: ○ **कैंसर** देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण; ○ **रेडियोलॉजी और प्रतिबिंबन (imaging) चिकित्सा उपकरण;** एवं ○ नाभिकीय प्रतिबिंबन उपकरण। • इससे पांच वर्ष की अवधि में 68,437 करोड़ रूपये का अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन होगा।

GUPTA CLASSES

4.2.5. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

(Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana): PMBJP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्गों हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना। • प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि के व्यापक विशिष्ट केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्ययों में कटौती करना।	• प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) को **जेनेरिक दवाएँ प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं किंतु उनसे कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। • शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरुकता का प्रसार करना** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने। • राज्य सरकारें या कोई संगठन/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट/निजी अस्पताल/धर्मार्थ संस्थान/डॉक्टर/अनियोजित फार्मासिस्ट/व्यक्तिगत उद्यमी 'PMBJK' के नए केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। • किसी सरकारी अस्पताल परिसर में जनऔषधि केंद्र की स्थापना करने वाले NGOs/एजेंसियों/व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। • कार्यान्वयन एजेंसी: **ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI)** • **जन औषधि सुविधा:** PMBJP के तहत केंद्र द्वारा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है। इसकी सहायता से वंचित महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसका विनिर्माण BPPI द्वारा किया जा रहा है।

4.2.6. औषध उद्योग के विकास हेतु योजना

(Scheme for Development of Pharmaceutical Industry)

उद्देश्य	विशेषताएं
घरेलू औषध उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर देश में **औषधि सुरक्षा** सुनिश्चित करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 480 करोड़ रूपये है। • इसकी उप-योजनाएँ निम्नलिखित हैं: ○ **सामान्य सुविधा केंद्र हेतु बल्क ड्रग उद्योग की सहायता योजना:** राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी बल्क ड्रग पार्क में, सामान्य सुविधा केंद्र के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (अधिकतम 100 करोड़ रूपये प्रति CFC या लागत का 70% इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी । ○ **सामान्य सुविधा केंद्र हेतु चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता योजना:** राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी मेडिकल डिवाइस पार्क में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (अधिकतम 25 करोड़ रूपये प्रति CFC या लागत का 70%, जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी। ○ **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना:** लघु और मध्यम औषध उद्यम (SMEs) को उनके संयंत्र एवं मशीनरी का उन्नयन करने हेतु सहायता प्रदान करना। इसमें 250 औषध SMEs को ब्याज अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। ○ **क्लस्टर विकास के लिए सहायता योजना:** मौजूदा औषध क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP-PS) को इस अंब्रेला योजना के तहत समाविष्ट किया गया है। इसमें 20 करोड़ या परियोजना की लागत का 70% इनमें से जो भी कम हो अनुदान के रूप में

GUPTA CLASSES

	सहायता प्रदान की जाती है। ○ **औषधि संवर्धन विकास योजना:** वित्तीय सहायता के विस्तार के माध्यम से औषध क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।

4.2.7. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

फ़ार्मा जन समाधान	• यह औषधियों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित **उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली** है। इसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा सृजित किया गया है। • यह **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा। • NPPA द्वारा शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
'फ़ार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप	• यह NPPA द्वारा विकसित की गयी एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए **निर्धारित MRP को रियल-टाइम आधार** पर प्रदर्शित करती है।

4.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

4.3.1. प्लास्टिक पार्क स्कीम

(Plastic Parks Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्लास्टिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश में वृद्धि करना, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास और क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाना तथा प्लास्टिक के आयात को कम करना।	• इसकी **परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010** में की गई थी। इस नीति को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया। • यह योजना **आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क"** की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे तथा साथ ही यह योजना, इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से योगदान देने हेतु सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु सहायता करती है। • **वित्तपोषण पैटर्न:** केंद्र द्वारा 50% राशि (40 करोड़ प्रति योजना की निर्धारित सीमा के तहत) का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित SPV द्वारा किया जाएगा।

GUPTA CLASSES

5. नागर विमानन मंत्रालय

(Ministry of Civil Aviation)

5.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना:

{Ude Desh Ka Aam Naagrik (Udan)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• एयरलाइन परिचालन हेतु सहायता प्रदान कर क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय एवं सुगम बनाना/बढ़ावा देना।
• इसके लिए निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी:
  ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईपत्तन संचालकों द्वारा रियायत; एवं
  ○ वित्तीय समर्थन (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण)
• **मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार** द्वारा गैर-सेवारत तथा असेवित क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  ○ असेवित (Under-served) विमानपत्तन वे होते हैं जहाँ एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14), जबकि गैर-सेवारत हवाई अड्डे वे होते हैं जहां कोई अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं।
  ○ मंत्रालय का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,000 मार्गों और 100 से अधिक विमानपत्तनों के परिचालन को प्रारम्भ करना है।
	• **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** इसका **कार्यान्वयन प्राधिकरण** है।
	• यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** का एक प्रमुख घटक है।
	• यह योजना (योजना संस्करण 1.0 की अधिसूचना की तिथि से) 10 वर्ष तक की अवधि के लिए परिचालन में बनी रहेगी।
	• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए इसमें एक **अद्वितीय मांग एवं बाजार-आधारित मॉडल** को अपनाया गया है। RCS केवल उन राज्यों में और विमानपत्तनों/एयरोड्रमों/हेलीपैडों पर परिचालन में बना रहेगा, जहां इस योजना के तहत आवश्यक रियायत प्रदान कर इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता और समर्थन प्रदान किया जाएगा।
	• क्षेत्रीय उड़ानों में हवाई किराया, एक विमान पर लगभग 500 कि.मी. के लिए या हेलीकाप्टर पर 30 मिनट के लिए 2,500 रूपये प्रति घंटा तक निर्धारित किया गया है।
	• एयरलाइंस को रियायती दरों पर 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 UDAN सीटें) प्रदान करनी होती हैं। शेष 50% सीटों का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है। हेलिकॉप्टरों के लिए, यदि सीटें 13 या इससे कम हैं, तो RCS सीटों के रूप में 100% उपलब्ध करवाना आवश्यक है, लेकिन यदि क्षमता 13 से अधिक है, तो अधिकतम 13 को RCS सीटें माना जाएगा।
	• इस योजना के तहत RCS मार्गों के लिए चयनित ऑपरेटरों को **रियायतें और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF) के रूप में सहायता** प्रदान की जाएगी।
	  ○ इसके तहत केंद्र द्वारा घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली उड़ान पर 8,500 रुपये तक का शुल्क (levy) अधिरोपित कर राशि संग्रहित की जाएगी तथा VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 10% है)।
	    ▪ इस उद्देश्य के लिए **रीजनल कनेक्टिविटी फंड** का सृजन किया जाएगा।
	  ○ हालांकि, राज्य RCS मार्गों और लक्षद्वीप विशिष्ट मार्ग के रूप में वर्गीकृत किए गए मार्गों के लिए, राज्य सरकारें तथा गृह मंत्रालय क्रमशः इस योजना के तहत VGF के 100% की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।
	  ○ **राज्य सरकारों** को निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएँ, RCS विमानपत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान करना होगा।
	  ○ **विमानपत्तन/एयरोड्रम/हेलीपैड ऑपरेटर:** RCS के तहत उड़ान हेतु कोई

GUPTA CLASSES

	लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किए जाएंगे। • यदि RCS के तहत परिचालनों के लिए विमानपत्तनों / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड पर बुनियादी ढांचे के किसी भी पुनर्सुधार / उन्नयन की आवश्यकता होती है, तो AAI द्वारा संबंधित राज्य सरकार / विमानपत्तन / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड ऑपरेटर से आवश्यक लागत भुगतान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होगा। • पिछले 3 दौर (राउंड) में, लगभग 700 RCS मार्ग प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 106 विमानपत्तनों और 31 हेलिपोर्टों का निर्माण तथा 232 RCS मार्गों का संचालन किया जा चुका है। • हाल ही में, **UDAN के लिए चौथे दौर की बोली को प्रारंभ** किया गया है ताकि सुदूरवर्ती एवं प्रादेशिक क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाया जा सके तथा विमानपत्तनों का विकास और लंबित मार्गों का संचालन किया जा सके। ○ इसके तहत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा द्वीप समूह जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। (गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में प्रति सप्ताह 3-14 उड़ानें उपलब्ध हो सकेंगी जहां अभी प्रति सप्ताह 3-7 उड़ानें उपलब्ध हैं) ○ **व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF) की उच्चतम सीमा में संशोधन:** ▪ **श्रेणी 2/3 वाले विमानों** (20 सीटों से अधिक) के लिए VGF का प्रावधान अब उन सभी उड़ानों तक बढ़ा दिया गया है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संचालनरत होंगी। ▪ **श्रेणी 1/1A वाले विमानों (20 सीटों से कम)** के माध्यम से संचालन के लिए दूरी से संबंधित विभिन्न चरण की लंबाइयों के लिए लागू VGF की उच्चतम सीमा को भी संशोधित किया गया है। ○ **लघु-ढुलाई वाले मार्गों को प्रोत्साहन:** श्रेणी 2/3 वाले विमान के संचालन के लिए 600 किलोमीटर तक की दूरी वाले मार्गों के लिए VGF के प्रावधान प्रतिबंधित होंगे। ○ **VGF के अधिनिर्णय के लिए स्पष्ट परिभाषित प्राथमिकता फ्रेमवर्क:** प्राथमिकता का अवरोही क्रम होगा: AAI द्वारा पहले से विकसित किए गए विमानपत्तन, इसके पश्चात् वे विमानपत्तन जो उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र/क्षेत्रों में स्थित हैं, इसके पश्चात् प्राथमिकता क्षेत्र/क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थित विमानपत्तन। ○ चयनित एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा उड़ानों की आवृत्ति को परिवर्तित करने के संबंध में लचीलापन प्रदान किया गया है, बशर्ते कि कुल निर्धारित उड़ानें 1 वर्ष की अवधि के भीतर संचालित की जाएं। ○ यह हेलीकॉप्टर और समुद्री विमानों के संचालन की अनुमति प्रदान करेगा।

5.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
डिजी यात्रा प्लेटफ़ॉर्म	• यह विमान पत्तन पर यात्रियों के प्रवेश एवं संबंधित आवश्यकताओं के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित** डिजिटल प्रसंस्करण प्रणाली है। • यह विमान पत्तन पर स्थित विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज़-रहित (पेपरलेस) यात्रा तथा पहचान की

GUPTA CLASSES